

**न्यायालय:—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्वर जिला—सलूम्वर (राज.)**

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बागनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 10/2024 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर—2024/23

उनवान

1. श्रीमती दलुबाई पत्नि श्री मोगजी पटेल उम्र बालिग जाति पटेल पेशा काश्त निवासी झल्लारा, तहसील झल्लारा जिला सलूम्वर (राज.)

—वादीया

बनाम

1. श्री कुशाल पिता श्री चम्पालाल चौबीसा उम्र बालिग
2. श्री नारायणी पत्नि श्री चम्पालाल चौबीसा उम्र बालिग
3. श्री महेन्द्र पुत्र श्री चम्पालाल चौबीसा उम्र बालिग
4. श्री शांतीलाल पुत्र श्री शंकर चौबीसा उम्र बालिग सभी जाति ब्राम्हण निवासीयान झल्लारा, तह झल्लारा जिला सलूम्वर (राज.)।
5. श्री गोपालसिंह पिता श्री कल्याणसिंह राजपुत उम्र 45 वर्ष जाति राजपुत निवासी बोरी तहसील झल्लारा जिला सलूम्वर (राज.)।
6. आईडीबीआई बैंक शाखा झल्लारा, तहसील झल्लारा जिला सलूम्वर (राज.)।
7. भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा जिला सलूम्वर (राज.)।

—प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

—::निर्णय::—

दिनांक:—05—01—2026



उपस्थिति: श्री गेबीलाल मेहता अधिवक्ता—वादीगण  
एक पक्षीय —प्रतिवादीगण

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत संस्थित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक को सम्यक रूप से सम्मन तामील होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वाद में वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18-09-2024 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार किया गया तथा बंटवाड़े की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई।

प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार, झल्लारा द्वारा पत्रांक 656 दिनांक 16-10-2025 के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत की गई। उक्त पालना रिपोर्ट का अवलोकन वादी के अधिवक्ता को कराया गया, जिस पर वादी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई तथा पालना रिपोर्ट के अनुसार वाद में अन्तिम डिक्री जारी किए जाने का निवेदन किया गया।

  
सहायक कलक्टर सलूम्वर  
जिला सलूम्वर

जनवान-श्रीमती दलुबाई वनाग कुशाल व अन्य

वादी को सुना जाकर एवं पालना रिपोर्ट का सूक्ष्मता से अवलोकन करने के पश्चात् यह न्यायालय संतुष्ट है कि प्रारम्भिक डिक्री की विधिवत् पालना की गई है। अतः मौजा झल्लारा पटवार हल्का झल्लारा, हाल तहसील झल्लारा की जमाबंदी संवत् 2075-2078 की खाता संख्या 529 आराजी नम्बर 1924 किता 01 रकबा 0.1800 हैक्टियर वाद वर्णित आराजीयात की भूमि मे निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री मुर्तिब किये जाने के आदेश दिये जाते है-

(क)-प्रथम हिस्सा

1. खातेदार का नाम- श्री कुशाल पुत्र चम्पालाल ब्राह्मण, श्री गोपालसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपुत सा. बोरी, श्रीमति नारायणी पत्नि चम्पालाल ब्राह्मण, श्री महेन्द्र पुत्र चम्पालाल ब्राह्मण सा. बोरी, श्री शान्तिलाल पुत्र शंकर ब्राह्मण सा. बोरी सा.देह खातेदार

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	1924 मी.	0.16	बीड द्वितीय- 0.08 भटेवड-0.08	0.09 0.048
योग	किता-01	0.16 है.	-	0.138 रु.

(ख)-द्वितीय हिस्सा

2. खातेदार का नाम- श्रीमती दलुबाई पत्नी मोगजी पटेल सा.देह खातेदार

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	1924 / 1	0.02	भटेवड	0.012
योग	किता 01	0.02 है.	-	0.012 रु.

उपरोक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे वादी के विधिसम्मत हिस्से की आराजीयात भूमि में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, दखल, कब्जा अथवा बाधा उत्पन्न न करें।

प्रस्तावित नक्शा ट्रेस डिक्री का जूज हिस्सा रहेगा। तथा संबंधित आराजीयात पर बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। माफिक निर्णय अन्तिम डिक्री कायम की जाकर पालनार्थ निर्णय एवं डिक्री की एक प्रति तहसीलदार झल्लारा को भेजी जावे।

पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दपतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05-01-2026 को सरे इजलास सुनाया गया।



(जगदीश चन्द्र वामनिया RAS)  
उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर  
सहायक कलक्टर सलुम्बर  
जिला-सलुम्बर  
जिला सलुम्बर

# मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश-20 के नियम-6 और 7)

न्यायालय:-उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला-सलुम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बागनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 10/2024 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर-2024/23

उनवान

1. श्रीमती दलुबाई पत्नि श्री मोगजी पटेल उम्र बालिग जाति पटेल पेशा काश्त निवासी झल्लारा, तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर (राज.)

-वादीया

बनाम

1. श्री कुशाल पिता श्री चम्पालाल चौबीसा उम्र बालिग
2. श्री नारायणी पत्नि श्री चम्पालाल चौबीसा उम्र बालिग
3. श्री महेन्द्र पुत्र श्री चम्पालाल चौबीसा उम्र बालिग
4. श्री शांतिलाल पुत्र श्री शंकर चौबीसा उम्र बालिग सभी जाति ब्राम्हण निवासीयान झल्लारा, तह झल्लारा जिला सलुम्बर (राज.)।
5. श्री गोपालसिंह पिता श्री कल्याणसिंह राजपुत उम्र 45 वर्ष जाति राजपुत निवासी बोरी तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर (राज.)।
6. आईडीबीआई बैंक शाखा झल्लारा, तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर (राज.)।
7. भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा जिला सलुम्बर (राज.)।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

डिक्री दिनांक:-05-01-2026

वादीपत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादीया की और से एडवोकेट श्री गेबीलाल मेहता एवं प्रतिवादीगण की एक पक्षीय उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 05-01-2026 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर मौजा झल्लारा पटवार हल्का झल्लारा, हाल तहसील झल्लारा की जमाबंदी संवत् 2075-2078 की खाता संख्या 529 आराजी नम्बर 1924 किता 01 रकबा 0.1800 हैक्टेयर वाद वर्णित आराजीयात की भूमि मे निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री के आदेश दिये जाते है-

(क)-प्रथम हिस्सा

1. खातेदार का नाम- श्री कुशाल पुत्र चम्पालाल ब्राह्मण, श्री गोपालसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपुत सा. बोरी, श्रीमति नारायणी पत्नि चम्पालाल ब्राह्मण, श्री महेन्द्र पुत्र चम्पालाल ब्राह्मण सा. बोरी, श्री शान्तिलाल पुत्र शंकर ब्राह्मण सा. बोरी सा.देह खातेदार

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	1924 मी.	0.16	बीड द्वितीय- 0.08 भटेवड-0.08	0.09 0.048
योग	किता-01	0.16 है.	-	0.138 रु.

(ख)-द्वितीय हिस्सा

2- खातेदार का नाम- श्रीमती दलुबाई पत्नी मोगजी पटेल सा.देह खातेदार

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	1924 / 1	0.02	भटेवड	0.012
योग	किता 01	0.02 है.	-	0.012 रु.

उपरोक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे वादी के विधिसम्मत हिस्से की आराजीयात भूमि में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप, दखल, कब्जा अथवा बाधा उत्पन्न न करें।

प्रस्तावित नक्शा ट्रेस डिक्री का जूज हिस्सा रहेगा। तथा संबंधित आराजीयात पर बैक रहन बदस्तुर रहेगा। पालार्थ डिक्री की एक प्रति तहसीलदार झल्लारा को भेजी जावे।

इस वाद के खर्चे पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 05-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर  
सहायक कलक्टर सलूम्वर  
सलूम्वर  
जिला सलूम्वर



वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	01	-	शक्ति-पत्र के लिए स्टाम्प	01	-
2. शक्ति-पत्र के लिए स्टाम्प	01	-	अर्जी के लिए स्टाम्प	-	-
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	-	प्लीडर की फीस	-	-
4. रुपयेपरलीडर की फीस	-	-	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-	-
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-	-	आदेशिका की तामील	-	-
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	-	कमिश्नर की फीस	-	-
7. आदेशिका की तामील	-	-		-	-
योग	05	-	योग	01	-

सहायक कलक्टर  
सहायक कलक्टर सलूम्वर  
जिला सलूम्वर